दिनांक 21.04.2021
प्रेस विज्ञप्ति 21/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हाथरस/थाना सासनी

- **पुलिस कार्यवाही में एक लाख रूपये व 30 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल**
- **01 अवैध तमंचा, जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20.04.2021 को थाना सासनी, थाना हाथरस गेट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सासनी क्षेत्र अन्तर्गत बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में एक लाख रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गौरव व 30 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनी उर्फ श्याम घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 01 अवैध तमंचा जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद हाथरस, म0प्र0 के विभिन्न थानो पर हत्या, हत्या का प्रयास आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त गौरव थाना सासनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0–52/2021 धारा 147/148/149/302/506 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था व अभियुक्त सोनू उर्फ श्याम थाना हजीरा जनपद ग्वालियर (म0प्र0) पर पंजीकृत अभियोग

में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु ग्वालियर जोन (म0प्र0) स्तर से 30 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सासनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–गौरव निवासी नौजरपुर थाना सासनी जनपद हाथरस।

2–सोनी उर्फ श्याम निवासी चिंते का पुरा थाना दिमनी जिला मुरैना(म0प्र0)

बरामदगी–:

1– 01 अवैध पिस्टल,

2–01 अवैध तमंचा जीवित/खोखा कारतूस

जनपद अमरोहा/थाना मंडी धनौरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख रूपये कीमत की 23 पेटी व 03 बोरी में अवैध अग्रेजी शराब**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 20/21.04.2021 की रात्रि थाना मंडी धनौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोलघर तिराहे के पास से चेकिंग के दौरान अभियुक्त अशोक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 03 लाख रूपये कीमत की 23 पेटी व 03 बोरी में अवैध अग्रेजी शराब, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मंडी धनौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अशोक निवासी टीकली रोड ऊंची कोठी थाना बादशाहपुर जनपद गुरूग्राम (गुडगांव) हरियाणा।

बरामदगी

1—लगभग 03 लाख रूपये कीमत की 23 पेटी व 03 बोरी में अवैध अग्रेजी शराब।

2—01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद बस्ती/थाना पुरानी बस्ती

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 02 लाख 20 हजार रूपये कीमत के 07 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 मोटर साइकिल, 03 मोबाइल फोन, 420 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 20.04.2021 को थाना पुरानी बस्ती व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चैनपुरवा पुल के पास से चेकिंग के दौरान 02 मादक पदार्थ तस्कर 1—विनायक उर्फ पंकज, 2—अरविन्द उर्फ विमलेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख 20 हजार रूपये कीमत के 07 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा, 01 मोटर साइकिल, 03 मोबाइल फोन, 420 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना पुरानी बस्ती पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विनायक उर्फ पंकज निवासी सकरदहा थाना हरैया जनपद बस्ती।

2—अरविन्द उर्फ विमलेश निवासी मुरादीपुर थाना हरैया जनपद बस्ती।

बरामदगी

1—लगभग 02 लाख 20 हजार रूपये कीमत के 07 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा।

2—01 मोटर साइकिल।

3—03 मोबाइल फोन।

4—420 रूपये नगद आदि।

जनपद बलिया/थाना नरही

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **20 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 21.04.2021 को थाना नरही व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लक्ष्मणपुर से पिपराकला की तरफ जाने वाले रोड कटरा के पास चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्कर रत्नेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नरही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रत्नेश कुमार निवासी बड़की कोठिया थाना बक्सर जनपद बक्सर बिहार।

बरामदगी

1–20 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

––––––